न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
162/2024	2024/375	09.10.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

1 श्रीराम दत्तक पुत्र साधुराम, जाति अहीर, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

2 कमला देवी पत्नि श्रीराम, जाति अहीर, निवासी ढाणी बिहारीवाला, तन आंतेला, तहसील विराटनगर, हाल निवासी ठीकरिया तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 धूडमल

2 श्योनारायण पुत्रान पुन्ना जातियान अहीर, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

3 जौहरी पुत्र नन्दा, जाति चमार, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

4 उर्मिला पत्नि दयाराम

5 मुकेश देवी पत्नि मातादीन

6 सविता देवी पत्नि राजेश जातियान अहीर, निवासी ढाणी चंडीगढ, ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

8 सब रजिस्ट्रार साहब पांवटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री नरेश कुमार यादव
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 503/0.65, 504/0.33, 505/0.28, 507/0.92, 506/0.66, 508/0.72, 509/0.77 वाके मौजा ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजीयात के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज–काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का वादीगण के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है । आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, आराजी में निर्माण कार्य करने, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी के विशेष भूभाग को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का वादीगण के हिस्से की आराजीं से कोई लेना–देना ताल्लुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का विधिवत तकास्मा करवा लो तथा अपना–अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी में पेड़ वगैरह ना काटो, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द मत करों, आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य मत करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 नही मान रहे हैं तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने, आराजी में निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है तथा वादीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते है, गत सप्ताह से साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, आराजी में निर्माण कार्य करने, वादीगण को आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीगण को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा।

4. बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। रिहायश फरीकेन एंव वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

5. वादीगण दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 503/0.65, 504/0.33, 505/0.28, 507/0.92, 506/0.66, 508/0.72, 509/0.77 वाके मौजा ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार व मौके पर काबिज अनुसार आराजी का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। या जो दादरसी न्यायहित में फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6. दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 23.05.2025 को वादी वकील की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। तहसीलदार पावटा के क्रमांक/भू.अ./25/2236 दिनांक 07.08.2025 द्वारा कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील न आदेशिका पर हस्ताक्षर तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने हेतू निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

7 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 503/0.65, 504/0.33, 505/0.28, 507/0.92, 506/0.66, 508/0.72, 509/0.77 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**श्रीराम दत्तक पुत्र साधुराम हि. 6/10 कमला देवी पत्नि श्रीराम हि. 4/10 जाति अहीर सा.देह राहिन बदस्तुर**	**503/0.55, 504/0.295, 506/0.26, 507/0.054, 508/0.42, 509/0.42 कुल किता 06 रकबा 1.999 हैक्ट0 भूमि ।**
2	**जौहरी पुत्र नन्दा हि. 4330/11353 जाति चमार सा.देह** **धूड़मल पुत्र पन्ना हि. 5773/22706 जाति अहीर** **श्योनारायण पुत्र पन्नाराम जाति अहीर हि. 3307/22706** **उर्मिला पत्नि दयाराम हि. 1655/22706** **मुकेश देवी पत्नि मातादीन हि. 1655/22706** **सविता देवी पत्नि राजेश कुमार हि. 1656/22706 जाति अहीर सा.देह राहिन बदस्तुर**	**503/1/0.05, 505/0.28, 506/1/0.40, 507/1/0.866, 508/2/0.2775, 509/2/0.3275 कुल किता 06 रकबा 1.201 हैक्ट0 भूमि।**
3	**सामलात रास्ता**	**503/2/0.05, 504/1/0.0350, 508/1/0.0225, 509/1/0.0225 कुल किता 04 रकबा 0.13 हैक्ट0 भूमि ।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
162 / 2024	2024 / 375	09.10.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

1 श्रीराम दत्तक पुत्र साधुराम, जाति अहीर, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

2 कमला देवी पत्नि श्रीराम, जाति अहीर, निवासी ढाणी बिहारीवाला, तन आंतेला, तहसील विराटनगर, हाल निवासी ठीकरिया तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **वादीगण**

बनाम

1 धूडमल

2 श्योनारायण पुत्रांन पुन्ना जातियान अहीर, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

3 जौहरी पुत्र नन्दा, जाति चमार, निवासी ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

4 उर्मिला पत्नि दयाराम

5 मुकेश देवी पत्नि मातादीन

6 सविता देवी पत्नि राजेश जातियान अहीर, निवासी ढाणी चंडीगढ, ठीकरिया, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

8 सब रजिस्ट्रार साहब पांवटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री नरेश कुमार यादव
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 503 / 0.65, 504 / 0.33, 505 / 0.28, 507 / 0.92, 506 / 0.66, 508 / 0.72, 509 / 0.77 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	**श्रीराम दत्तक पुत्र साधुराम हि. 6 / 10 कमला देवी पत्नि श्रीराम हि. 4 / 10 जाति अहीर सा.देह राहिन बदस्तुर**	**503 / 0.55, 504 / 0.295, 506 / 0.26, 507 / 0.054, 508 / 0.42, 509 / 0.42 कुल किता 06 रकबा 1.999 हैक्ट0 भूमि ।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2	जौहरी पुत्र नन्दा हि. 4330/11353 जाति चमार सा.देह धूड़मल पुत्र पन्ना हि. 5773/22706 जाति अहीर श्योनारायण पुत्र पन्नाराम जाति अहीर हि. 3307/22706 उर्मिला पत्नि दयाराम हि. 1655/22706 मुकेश देवी पत्नि मातादीन हि. 1655/22706 सविता देवी पत्नि राजेश कुमार हि. 1656/22706 जाति अहीर सा.देह राहिन बदस्तुर	503/1/0.05, 505/0.28, 506/1/0.40, 507/1/0.866, 508/2/0.2775, 509/2/0.3275 कुल किता 06 रकबा 1.201 हैक्ट0 भूमि।
3	सामलात रास्ता	503/2/0.05, 504/1/0.0350, 508/1/0.0225, 509/1/0.0225 कुल किता 04 रकबा 0.13 हैक्ट0 भूमि ।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	